

आदेश

पटना, दिनांक / /2019

संख्या-3/पास-01-11/2015-

/स्वा0, डा0 (श्रीमती) विभा कुमारी सिंह, मुख्य

चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, सम्प्रति प्रतिनियुक्त अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, आशियाना नगर द्वारा दिनांक 28.03.2019 से 30.05.2019 तक कुल-64 (चौंसठ) दिन विदेश यात्रा में बिताये गये अवधि को वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 799(25) दिनांक 09.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित आदेयता के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

2. प्रस्ताव में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :

837(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक :

22/9/19

प्रतिलिपि : वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सिविल सर्जन, पटना/डा0 (श्रीमती) विभा कुमारी सिंह, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, सम्प्रति प्रतिनियुक्त अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, आशियाना नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा-2, 3, 9, एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

22.9.2019

सरकार के संयुक्त सचिव